



अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट

पत्रांक सं०:- 329 / E-2 / 43 दिनांक 10/03/2026

1. समस्त सहायक अभियन्ता।
2. समस्त जूनियर इंजीनियर।
3. डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि०, चित्रकूट।
4. श्री प्रोबिन्स कटियार, प्रोजेक्ट मैनेजर, एल०एण्डटी०, चित्रकूट।
5. श्री एस० मौर्या, डी०पी०एम०, जी०वी०पी०आर०, चित्रकूट।
6. मैसर्स विद्युत कुमार जैन, कुन्दन भवन, सेक्टर-23 इन्दिरा नगर लखनऊ।
7. मैसर्स संतोष कुमार द्विवेदी, जगदीशगंज कर्वा, चित्रकूट।
8. मैसर्स जे०डब्लू०आई०एल०, एस०एस०आई०एल०, जे०वी० नई दिल्ली।
9. मैसर्स शिवा एसोसिएट, एच०ओ०-216 रामपुर नया गांव गोरखपुर।
10. मैसर्स भारतीय इंजीनियर्स, जी०एफ०-18, अली कार्पोरेट प्लाजा मैरिज रोड, अलीगढ।
11. मैसर्स ए०आर० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, आमबाग, अतर्रा चुंगी, अलीगंज, बांदा।
12. मैसर्स ईगल इंफ्रा इंडिया लि० महाराष्ट्र

विषय:- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं, रेट्रोफिटिंग व पुर्नगठन पेयजल योजनाओं, कोल्हुवामाफी व परदवां पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-12.03.2026 को जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट के कार्यालय पत्रांक-302/एम-8/36/2025 दिनांक-13.03.2026 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं, रेट्रोफिटिंग व पुर्नगठन पेयजल योजनाओं, कोल्हुवामाफी व परदवां पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-12.03.2026 को जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित किया गया है। जिसके माध्यम से जनपद में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत इन्टेकवेल, डब्लू०टी०पी०, सी०डब्लू०आर०/पम्प हाउस, ओ०एच०टी०, गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमिशनिंग, रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण, पाइप लाइन एवं रोड रेस्टोरेशन के अवशेष समस्त निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुये योजना के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त कार्यवृत्त में जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट के द्वारा निर्गत समस्त निर्देशों का कड़ाई से शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

31
(आशीष कुमार भारती)
अधिकासी अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिकासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता महोदय, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
3. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
4. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट।
6. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
7. अपर जिलाधिकारी महोदय (नमामि गंगे), चित्रकूट।
8. अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।

अधिकासी अभियन्ता

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-12.03.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्री आशीष कुमार भारती, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
2. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
3. समस्त सहायक अभियन्ता/समस्त जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
4. श्री चन्द्रशेखर गिरि, डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि०, चित्रकूट।
5. श्री विपिन पाण्डेय, कंस्ट्रक्शन मैनेजर एल०एण्ड०टी०, चित्रकूट।
6. श्री एस० मौर्या, डी०पी०एम०, कार्यदायी संस्था जी०वी०पी०आर०, चित्रकूट।
7. श्री कुलजीत, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स विद्युत कुमार जैन, कुन्दन भवन लखनऊ।
8. श्री सुशील द्विवेदी, प्रतिनिधि, मैसर्स संतोष कुमार द्विवेदी, जगदीशगंज कर्वी, चित्रकूट।

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री सुमित कुमार, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेन्सी सेन्सिस टेक लि० (TPI) के डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि० चित्रकूट तथा कार्यदायी संस्था-(L&T)के कंस्ट्रक्शन मैनेजर, श्री विपिन पाण्डेय, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डी०पी०एम० श्री एस० मौर्या से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना तथा रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या-01 ,02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह परियोजना, बरगढ, परदवां, कोल्हुवामाफी परियोजना के विभिन्न कम्पॉनेंट्स पर किये गये कार्यों की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उक्त बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया-

सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यदायी संस्था	लार्सन एण्ड टूर्स		
कार्य लागत (संचालन और रख-रखाव सहित)	Rs. 213.59 Cr.		
प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक	21-09-2020 / 30-09-2024		
अनुबन्ध संख्या/दिनांक	20/ED/2020-21 DT-20/09/2020		
संचालन और रख-रखाव समय	10 Yr.		
पानी का स्रोत	यमुना नदी		
आच्छादित ब्लॉक	मानिकपुर और रामनगर		
ग्राम पंचायत	33		
ग्राम पंचायत/अच्छादित ग्राम	59		
आच्छादित जनसंख्या (2021)	125340		
आच्छादित जनसंख्या (2051)	209750		
कम्पोनेंट	कुल कम्पोनेंट्स	कार्य की प्रगति	प्रगति प्रतिशत
इण्टेकवेल	1(24 MLD)	1 (क्रियाशील)	100.00%
वाटर ट्रीट मेंट प्लांट	1(22 MLD)	1 (क्रियाशील)	100.00%
ओवर हेड टैंक	17	17 (क्रियाशील)	100.00%
ओवर हेड टैंक (functional)	17	17	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर	6	6 (क्रियाशील)	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर (functional)	6	6	100.00%
कुल पाइप लाइन	576.55 कि०मी०	572.55 कि०मी०	99.30%
तोड़ी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क	60.00 कि०मी०	57.91 कि०मी०	96.51%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या	59	57	96.61%
गृह नल संयोजन संख्या	11925	11410	96.00%
नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	59	59	100.00%
हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या	59	57	96.61%
भौतिक प्रगति	-	-	98.77%
वित्तीय प्रगति	213.59	203.47	95.26%

चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यदायी संस्था	लार्सन एण्ड टूर्स		
कार्य लागत (संचालन और रख-रखाव सहित)	Rs. 959.75 Cr.		
प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक	21-09-2020 / 30-09-2024		
अनुबन्ध संख्या/दिनांक	20/ED/2020-21 DT-20/09/2020		
संचालन और रख-रखाव समय	10 Yr.		
पानी का स्रोत	यमुना नदी		
आच्छादित ब्लॉक	कवी, पहाडी, मानिकपुर		
ग्राम पंचायत	214		
ग्राम पंचायत/आच्छादित ग्राम	286		
आच्छादित जनसंख्या (2021)	490880		
आच्छादित जनसंख्या (2051)	788480		
कम्पोनेंट	कुल कम्पोनेंट्स	कार्य की प्रगति	प्रगति प्रतिशत
इण्टेकवेल	1(103 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	95.00%
वाटर ट्रीट मेंट प्लांट	1(98 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	95.00%
ओवर हेड टैंक	91	90	98.90%
ओवर हेड टैंक (functional)	91	80 (क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	87.91%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर	20	20	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर (functional)	20	20	100.00%
कुल पाइप लाइन	3038.38 कि०मी०	2592.60 कि०मी०	85.32%
तोड़ी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क	304.52 कि०मी०	222.35 कि०मी०	73.01%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या	286	187	65.38%
गृह नल संयोजन संख्या	85767	74630	87.01%
नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	286	164	57.34%
हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या	286	74	25.87%
भौतिक प्रगति	-	-	83.82%
वित्तीय प्रगति	959.75	659.30	68.70%

रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यदायी संस्था	जी०वी०पी०आर० इंजीनियर्स		
कार्य लागत (संचालन और रख-रखाव सहित)	Rs. 303.32 Cr.		
प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक	26-09-2020/ 30-09-2024		
अनुवन्ध संख्या/दिनांक	15/ED/2020-21 DT 26-09-2020		
संचालन और रख-रखाव समय	10 Yr.		
पानी का स्रोत	गुन्ता बांध		
आच्छादित ब्लॉक	मानिकपुर		
ग्राम पंचायत	51		
आच्छादित ग्राम	71		
आच्छादित जनसंख्या (2021)	169130		
आच्छादित जनसंख्या (2051)	263150		
कम्पोनेंट	कुल कम्पोनेट्स	कार्य की प्रगति	प्रगति प्रतिशत
इण्टेकवेल	1 (32 MLD)	1(क्रियाशील)	100.00%
वाटर ट्रीट मेंट प्लांट	1 (29 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	97.00%
ओवर हेड टैंक	28	25 पूर्ण 03 (कार्य प्रगति पर)	89.00%
ओवर हेड टैंक (functional)	28	25	89.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर	11	11	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर (functional)	11	11	100.00%
कुल पाइप लाइन	882.38 कि०मी०	837.40 कि०मी०	94.90%
तोड़ी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क	92.77 कि०मी०	75.32 कि०मी०	81.19%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या	68	57	83.82%
गृह नल संयोजन संख्या	19570	17670	90.29%
नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	68	61	89.70%
हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या	68	47	69.11%
भौतिक प्रगति	-	-	91.03%
वित्तीय प्रगति	303.32	203.18	66.99%

Manpower Deployed for Jal Jeevan Mission-district Chitrakoot-on dated						11-03-2026	
S No.	Descriptions	Silauta Mustakil		Chandi Banger		Raipura WSS	
		Required Team/ Manpower	Deployed Team/ Manpower	Required Team/ Manpower	Deployed Team/ Manpower	Required Team/ Manpower	Deployed Team/ Manpower
1	INTAKE	0	0	5	0	5	0
2	WTP	0	0	5	5	10	5
3	CWR & PH	5	0	30	16	36	3
4	OHT	10	4	77	45	91	16
5	PIPELINE	5	0	98	42	43	38
6	Gap Closing & Leakages	15	8	43	37	34	36
7	COMMISSIONING	10	0	123	51	49	32
8	Road Restoration	5	0	159	18	52	25
9	FHTC	10	0	48	13	21	19
	Total	60	12	588	227	341	174

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा सभी कम्पोनेन्टों पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी गयी है जिसके कारण उपरोक्त परियोजनाओं की कमीशनिंग, नियमित जलापूर्ति "हर घर जल" प्रमाणीकरण इत्यादि कार्यों की भौतिक प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T)के कंस्ट्रक्शन मैनेजर श्री विपिन पाण्डेय, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डी०पी०एम० श्री एस० मौर्या को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने परियोजनाओं से सम्बन्धित इण्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोस्टवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/ GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है।

फर्म एल०एण्ड०टी० के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्ययोजना के अनुसार अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी, इसी प्रकार फर्म जी०वी०पी०आर० के डी०पी०एम० के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्ययोजना के अनुसार अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक-30.04.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को समस्त कार्यों की गहनता से जांच व सघन पर्यवेक्षण करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशित किया गया कि वह टी०पी०आई० सहित अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स व कार्मिकों को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणाधीन घटक के कार्य स्थलों पर भेजकर सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों की क्वालिटी/गुणवत्ता की जांच कराते हुये मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को अपनी निगरानी में गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यों।

रेट्रोफिटिंग व पुर्नगठन परियोजनायें

क्र० सं०	योजना का नाम	योजनाओं की संख्या	ग्रामों की संख्या	सी० डब्लू० आर०	ओ०एच० टी० (नग)	पाइप लाइन (प्रगति/ लक्ष्य) (कि०मी० में)	गृह जल संयोजन (नग) (प्रगति/ लक्ष्य)	हर घर जल प्रमाणित / नियमित जलापूर्ति हो रहे ग्रामों की संख्या	रोड रेस्टोरेशन पूर्ण ग्रामों की संख्या	भौतिक प्रगति
				(नग) (प्रगति/ लक्ष्य)	(प्रगति/ लक्ष्य)					
1	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या-01)	12	16	11/11	05/05	120.06 / 120.06	9109 / 9358	10 / 14	10	97.40 प्रतिशत
2	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या-02)	14	14	13/13	07/07	99.28 / 103.66	4161 / 6122	8 / 10	8	90.40 प्रतिशत
3	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या-03)	10	10	10/10	05/05	75.06 / 83.19	4557 / 9355	6 / 6	6	78.00 प्रतिशत
4	रेट्रोफिटिंग मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना	04	11	8/8	02/02	78.60 / 93.55	2730 / 4215	10 / 10	10	70.50 प्रतिशत
5	रेट्रोफिटिंग बरगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना	03	9	9/9	0/0	68.50 / 73.64	2744 / 2941	8 / 8	8	75.13 प्रतिशत
6	कोल्हुवामाफी एवं परदवां पेयजल योजना	02	4	0/0	04/04	11.40 / 12.75	492 / 850	1 / 2	1	84.13 प्रतिशत
	योग	45	64	51 / 51	23 / 23	453.00 / 486.85	23793 / 32841	43 / 50	43	

विद्युत कनेक्शन की अद्यतन स्थिति एवं विद्युत आपूर्ति से प्रभावित सी0डब्लू0आर0 का विवरण

क0 सं0	योजना का नाम	कुल विद्युत संयोजनों की संख्या	प्राप्त विद्युत संयोजनों की संख्या	अवशेष	टिप्पणी
1	सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना	07	07	00	—
2	चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना	21	21	00	योजनान्तर्गत गडौली, भानपुर, चनहट एवं कुसेली सी0डब्लू0आर0 पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोस्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है।
3	रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना	13	13	00	योजनान्तर्गत मानिकपुर रूरल फीडर से कनेक्ट 05 नग कमशः पटा, सरहट, चूल्ही, भेंडा एवं टिकरिया सी0डब्लू0आर0 पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोस्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है।
4	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या-01	12	10	02	
5	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या-02	14	10	04	
6	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या-03	10	09	01	

नोट:- 1- विद्युत विभाग द्वारा योजनान्तर्गत स्वतंत्र फीडर निर्माण का प्राक्कलन वर्तमान तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2-पूर्व में विद्युत विभाग को रेट्रोफिटिंग के कनेक्शन मद में 83.07 लाख एवं जे0जे0एम0 फेज-1 के मद में 111.44 लाख का भुगतान किया गया था, जिसका यू0सी0 उपलब्ध कराया जाना है।

**आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का विवरण
(दिनांक-08.02.2026 से दिनांक-11.03.2026 तक)**

क्र0 सं0	फर्म का नाम	दिनांक-19.12.2025 को लम्बित संदर्भों की संख्या	दिनांक-27.01.2026 को लम्बित संदर्भों की संख्या	दिनांक-25.02.2026 को लम्बित संदर्भों की संख्या	दिनांक-25.02.2026 से दिनांक-11.03.2026 के मध्य प्राप्त संदर्भों की संख्या	दिनांक-25.02.2026 से दिनांक-11.03.2026 के मध्य निस्तारित संदर्भों की संख्या	दिनांक-11.03.2026 को लम्बित संदर्भों की संख्या	टिप्पणी
1	L&T	120	287	247	508	169	339	निस्तारित किये गये संदर्भों में 194 संदर्भों का फीडबैक लिया गया, जिसमें से 108 संतुष्टि फीडबैक एवं 86 असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुये हैं। संतुष्टि फीडबैक 56 प्रतिशत है।
2	GVPR	51	114	72	158	75	83	
3	Package -1	14	16	15	31	09	22	
4	Package -2	02	02	03	09	02	07	
5	Package-3	14	14	09	35	07	28	
6	JWIL	18	21	25	120	21	99	
7	Eagle	29	03	09	23	03	20	
	Total	248	457	380	884	286	598	

जे0जे0एम0 पोर्टल ग्रीवियान्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र0सं0	फर्म का नाम	दिनांक-25.02.2026 तक लम्बित संदर्भों की संख्या	दिनांक-11.03.2026 तक लम्बित संदर्भों की संख्या
1	L&T	176	243
2	GVPR	34	29
3	Package -1	11	17
4	Package -2	06	02
5	Package-3	05	02
6	JWIL	19	17
7	Eagle	16	18
	Total	267	328

अधिकाशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा संज्ञानित कराया गया कि जल निगम की रेड्रोफिटिंग परियोजना अन्तर्गत पैकेज-01, 02, व 3, मऊ परियोजना, बरगढ परियोजना, परदवा परियोजना, कोल्हुवामाफी परियोजना, के CWRs, OHTs पाइपलाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति काफ़ी धीमी एवं खराब है। लक्ष्य के अनुरूप मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी जा रही है। उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता से (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। ताकि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सेसिंस टेक लि० के डिप्टी टीम लीडर एवं नोडल विभाग जल निगम के अधिकाशासी अभियन्ता एवं समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी ग्रामों के कार्य स्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों का मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों में भौतिक प्रगति बढ़ाये जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करे तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिकाशासी अभियन्ता उपरोक्त सभी कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर स्वयं मानीटरिंग करने के सख्त निर्देश दिये गये।

अधिकाशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक-18.12.2025 को प्रबंध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ एवं अधिकाशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के अन्तर्गत जिन एजेन्सियों के द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 100 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है एवं अनुसूचना एवं संचालन/ट्रायल एण्ड रन का कार्य प्रारम्भ हो गया है, उन योजनाओं एवं एजेन्सियों के भुगतान को वरीयता दी जायेगी। जिसके क्रम में समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों को पूर्ण कराते हुये योजना का ट्रायल एण्ड रन सफलता पूर्वक पूर्ण कराकर योजनाओं का अनुसूचना एवं संचालन कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत योजनान्तर्गत गडौली, भानपुर, चनहट एवं कुसेली सी०डब्लू०आर० पर एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत मानिकपुर रुरल फीडर से कनेक्ट 05 नग कमश: पटा, सरहट, चूल्ही, भेंडा एवं टिकरिया सी०डब्लू०आर० पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोस्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। इसके संबंध में अधिकाशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड राजापुर एवं चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त लोकेसंस पर आवश्यक विद्युत आपूर्ति हेतु सेपरेट फीडर का प्रस्ताव अधिकाशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराया जाये एवं अधिकाशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड राजापुर एवं कर्वी को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के संचालन हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराये। साथ ही पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट एवं अधिकाशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि अधोहस्ताक्षरी के स्तर से प्रबन्ध निदेशक, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा को पत्र प्रेषित कराने से सम्बन्धित पत्रावली तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
2. अधिकाशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म एल०एण्ड०टी० के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्ययोजना के अनुसार योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी, इसी प्रकार फर्म जी०वी०पी०आर० के डी०पी०एम० के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्ययोजना के अनुसार योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक-30.04.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी परन्तु योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु फर्मों के द्वारा पर्याप्त मैनपावर नहीं लगायी गयी है, जिससे अवशेष कार्य समयान्तर्गत पूर्ण नहीं हो पायेगा। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट एवं अधिकाशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि फर्म एल०एण्ड०टी० एवं जी०वी०पी०आर० के स्टेट हेड को नोटिस निर्गत करने से सम्बन्धित पत्रावली तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. अधिकाशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आई०जी०आर०एस०, ग्रीवियान्स, जनप्रतिनिधियों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया जाता है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत आई०जी०आर०एस० सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण समयान्तर्गत

निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी शिकायत की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं होने एवं डिफाल्टर श्रेणी में आने की स्थिति में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों, सहायक अभियन्ताओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी. आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा योजनान्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/ठेकेदारों एवं जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ताओं को कड़े निर्देश दिए गए कि डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पोर्टल पर प्रदर्शित असंतुष्ट फीडबैक संदर्भों ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये। अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट एवं अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।

4. समस्त निर्माणाधीन एवं रेट्रोफिटिंग/पुर्नगठन पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने के लिए फर्म द्वारा माइक्रोप्लान प्रस्तुत किया जाए और उसी के आधार पर योजना के समस्त कार्यों (ओ०एच०टी०, सी०डब्लू०आर०, इंटेकवेल, डब्लू०टी०पी०, पाइप लाइन, गृह जल संयोजन, रोड रेस्टोरेशन नियमित जलापूर्ति एवं हर घर जल प्रमाणीकरण) को पूर्ण कराया जाए।
5. मुख्य सचिव उ०प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या- 7/2026/493 (1) छिहत्तर-1-2026 (2027542) दिनांक 28.फरवरी.2026 के अनुपालन में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण एवं दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु जिला तकनीकी इकाई (DTU) के द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम स्तरीय जलापूर्ति सेवाओं का किये गये जल आंकलन की समीक्षा करते हुए प्रस्तुत विवरण के आधार पर निर्देशित किया गया कि दिसम्बर 2024 तक हर घर जल रिपोर्टेड ग्रामों में से जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है उसमें आवश्यक कार्यों को पूर्ण कराते हुए जलापूर्ति सेवाओं को मानक के अनुरूप संचालित किया जाये।
6. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों, समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी०पी०आई० के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि समस्त योजनाओं के अंतर्गत जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उन ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी सड़क मार्गों के पुर्नस्थापन के कार्यों को प्राथमिकता पर मार्च, 2026 तक शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
7. सचिव, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं सवच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- W-JJM-12/2026-JJM-VI-DDWS; Dated 27-02-2026 के अनुपालन में दिनांक 08 मार्च से 26 मार्च की अवधि में जल महोत्सव एवं जल अर्पण दिवस निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाये।
8. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत समस्त आई०एस०ए० संस्थाओं के प्रमुख/प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि नल जल मित्र एवं ई-ग्राम स्वराज के समस्त कार्यों को दिनांक-31.03.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जल आंकलन का एम०ओ०एम० पोर्टल पर अपडेट करायें।
9. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि दिनांक- 25.03.2026 तक जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पंचायत भवन, सी०एच०सी०, पी०एच०सी० आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैण्ड पोस्ट/हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी०पी०आई० के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा उपरोक्त स्थलों पर कराये गये कनेक्शनों का सत्यापन कार्य 31.03.2026 तक पूर्ण करते हुये आख्या अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत रेलवे, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए पाइपलाइन बिछाने में आ रहे अवरोधों का निराकरण कराते हुए कार्य पूर्ण कराया जाए।
11. योजनान्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए कि लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा बनाई गई सड़क के किनारे पाइप लाइन बिछाते समय विशेष ध्यान दिया जाए कि सड़क के किनारे शोल्डर के बाहर पाइप लाइन बिछाई जाए एवं अपरिहार्य स्थिति में शोल्डर/कैरिज वे पर पाइप लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित विभाग को सूचित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य किया जाए। जिससे भविष्य में रोड वाइडनिंग के दौरान सड़क मार्ग में आ रही पाइप लाइन के शिफ्टिंग के दौरान किसी विषम परिस्थिति से बचा जा सके।

12. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरतापूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये। फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T)/ (GVPR) इंजीनियर्स लि0 के प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्य स्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना एवं गुणवत्तापरक रोड रेस्टोरेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी.एस.फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे0जे0एम0 वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।


(पुलकित गर्ग)
जिलाधिकारी
चित्रकूट


कार्यालय जिलाधिकारी, चित्रकूट

संख्या 302 / म-8 / 36 / 2025

दिनांक 13/03/2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
5. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
6. मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
7. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) चित्रकूट।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
11. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंपेक्शन (टी0पी0आई0), सेन्सिस टेक लि0 चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
12. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी0पी0एम0 कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
14. समस्त ठेकेदार, रेट्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगढ, परदवां एवं कोल्हुवामाफी को अनुपालनार्थ।


जिलाधिकारी
चित्रकूट

12. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरतापूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये। फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T)/ (GVPR) इंजीनियर्स लि0 के प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्य स्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण करकर समस्त ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना एवं गुणवत्तापरक रोड रेस्टोरेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी.एस.फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे0जे0एम0 वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(पुलकित गर्ग)
जिलाधिकारी
चित्रकूट

कार्यालय जिलाधिकारी, चित्रकूट

संख्या 302 / 17-8 / 36 / 2025

दिनांक 13/03/2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
5. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
6. मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
7. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) चित्रकूट।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
11. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंपेक्शन (टी0पी0आई0), सेन्सिस टेक लि0 चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
12. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी0पी0एम0 कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
14. समस्त ठेकेदार, रेट्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगढ, परदवां एवं कोल्हुवामाफी को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
चित्रकूट



अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट

पत्रांक सं०:- 329 / E-2 / 43 दिनांक 19/03/2026

1. समस्त सहायक अभियन्ता।
2. समस्त जूनियर इंजीनियर।
3. डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0, चित्रकूट।
4. श्री प्रोबिन्स कटियार, प्रोजेक्ट मैनेजर, एल0एण्डटी0, चित्रकूट।
5. श्री एस0 भौर्या, डी0पी0एम0, जी0वी0पी0आर0, चित्रकूट।
6. मैसर्स विद्युत कुमार जैन, कुन्दन भवन, सेक्टर-23 इन्दिरा नगर लखनऊ।
7. मैसर्स संतोष कुमार द्विवेदी, जगदीशगंज कर्वा, चित्रकूट।
8. मैसर्स जे0डब्लू0आई0एल0, एस0एस0आई0एल0, जे0वी0 नई दिल्ली।
9. मैसर्स शिवा एसोसिएट, एच0ओ0-216 रामपुर नया गांव गोरखपुर।
10. मैसर्स भारतीय इंजीनियर्स, जी0एफ0-18, अली कार्पोरेट प्लाजा मैरिज रोड, अलीगढ़।
11. मैसर्स ए0आर0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, आमबाग, अतर्रा चुंगी, अलीगंज, बांदा।
12. मैसर्स ईगल इंफ्रा इंडिया लि0 महाराष्ट्र

विषय:- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं, रेट्रोफिटिंग व पुर्नगठन पेयजल योजनाओं, कोल्हुवामाफी व परदवां पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-12.03.2026 को जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट के कार्यालय पत्रांक-302/एम-8/36/2025 दिनांक-13.03.2026 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं, रेट्रोफिटिंग व पुर्नगठन पेयजल योजनाओं, कोल्हुवामाफी व परदवां पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-12.03.2026 को जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित किया गया है। जिसके माध्यम से जनपद में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत इन्टेकवेल, डब्लू0टी0पी0, सी0डब्लू0आर0/पम्प हाउस, ओ0एच0टी0, गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमिश्निंग, रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण, पाइप लाइन एवं रोड रेस्टोरेशन के अवशेष समस्त निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुये योजना के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त कार्यवृत्त में जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट के द्वारा निर्गत समस्त निर्देशों का कड़ाई से शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(आशीष कुमार भारती)
अधिकासी अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिकासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता महोदय, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
3. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
4. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट।
6. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
7. अपर जिलाधिकारी महोदय (नमामि गंगे), चित्रकूट।
8. अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।

27
अधिकासी अभियन्ता